रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 540] नई दिल्ली, बुधवार, जून 28, 2017/आषाढ़ 7, 1939
No. 540] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 28, 2017/ASADHA 7, 1939

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2017

सा.का.नि. 657(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) और (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीमा सुरक्षा बल, (येाधक आशुलिपिक कॉडर) समूह "क" और "ख" पद भर्ती नियम, 2011 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल, (येाधक आशुलिपिक कॉडर) समूह "क" और "ख" पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सीमा सुरक्षा बल, (येाधक अशुलिपिक कॉडर) समूह "क" और "ख" पद भर्ती नियम, 2011 में, —

(क) नियम 3 में, शब्द "वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान", दोनों स्थानों पर आते हैं, "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" शब्द रखे जाएगे;

(ख) अनुसूची में,—

(i) सहायक कमान्डेंट (निजी सचिव) के पद से संबंधित कम संख्या 1 के सामने —

(अ) स्तंभ (4) और इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात: :—

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर—10 (56100—177500 / — रुपये)";

(आ) स्तभं (11) में,"प्रोन्नति" शीर्षक के अधीन —

(i) शब्दों और अंको के स्थान पर "वेतन बैन्ड—2, 9300—34800 रू. + ग्रेड वेतन 4600 रु." शब्द और अंक "वेतन मैट्रिक्स" (44900—142400 रु.) में स्तर 7" रखे जाएंगे;

(ii) टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा;

(ii) निरीक्षक (निजी सहायक) से संबंधित कम संख्या 2 के सामने, –

(अ) स्तंभ (4) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:–

"स्तर–7 (44900–142400 रु.)";

(आ) स्तभं (11) में, "प्रोन्नति" शीर्षक के आधीन, –

(i) शब्दों और अंको के स्थान पर "वेतन बैन्ड 2, 9300–34800 + ग्रेड वेतन 4200 रु." शब्द और अंक "वेतन मैट्रिक्स (35400–112400 रु.) में स्तर 6" रखे जाएंगे।

(ii) टिप्पण 2 का लोप किया जाएंगा;

(iii) उप निरीक्षक–(आशुलिपिक) के पद से संबंधित कम संख्या 3 के सामने,–

(अ) स्तंभ (4) के आधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:–

" स्तर 6 (35400–112400रु)";

(I) "प्रोन्नति" शीर्षक के अधीन,

(i) शब्दों और अंको के स्थान पर "वेतन बैन्ड के वेतनमान 5200–20200 रु. + ग्रेड वेतन 2800 रु.", शब्द और अंक "वेतन मैट्रिक्स (29200–92300 रु.)" रखे जाएंगे।

(ii) टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा;

(II) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन,

(i) मद (ii) में " वेतन बैन्ड 1 5200–.20200 रु. + ग्रेड वेतन 2800 रु." शब्दों और अंको के स्थान पर, शब्द और अंक "वेतन मैट्रिक्स (29200–92300 रु.) में स्तर –5" रखे जाएंगे;

(ii) टिप्पण 1 का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 17/133/2016–कार्मिक/सीसुबल]

प्रशान्त निकम, निदेशक (कार्मिक)

टिप्पण:–मूल नियम, अधिसूचना संख्या में सा.का.नि. 317, तारीख 19 नवम्बर, 2011 द्वारा भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उप–खंड (i) प्रकाशित किए गये थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2017

G.S.R. 657(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (c) of sub- section (2) of section 141 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Border Security Force (Combatised Stenographers Cadre), Group 'A' and Group 'B' posts, Recruitment Rules, 2011, namely:—

1. (1) These rules may be called the Border Security Force, (Combatised Stenographers Cadre), Group 'A' and Group 'B' Posts, Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Border Security Force, (Combatised Stenographers Cadre), Group 'A' and Group 'B' posts, Recruitment Rules, 2011,—

(a) in rule 3, for the words "pay band and grade pay or pay scale" at both the places, the words "level in the pay matrix" shall be substituted;

(b) in the Schedule,—

(i) against serial number 1 relating to the post of Assistant Commandant (Personal Secretary),—

(A) for column (4) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"Level in the pay matrix
(4)
Level – 10 (Rs. 56100-177500)";

(B) in column (11), under heading "Promotion",—

(i) for the words and figures " Pay Band-2 (Rs. 9300-34800) plus Grade Pay of Rs. 4600", in the words and figures "level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400/)" shall be substituted;

(ii) Note 2 shall be omitted;

(ii) against serial number 2 relating to the post of Inspector (Personal Assistant),—

(A) for the entries under column (4), the following entries shall be substituted, namely:—

"Level - 7 (Rs. 44900-142400/-)",

(B) in column (11), under heading "Promotion"

(i) for the words and figures "Pay Band-2 (Rs. 9300-34800) plus Grade Pay of Rs. 4200", the words and figures " Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400/-)" shall be substituted;

(ii) Note 2 shall be omitted.

(iii) against serial number 3 relating to the post of Sub-Inspector (Stenographer),—

(A) for the entries under column 4, the following entries shall be substituted; namely:—

"Level - 6 (Rs. 35400-112400/-)";

(B) in column (11),

(I) under heading "promotion",—

(i) for the words and figures "Pay Band-I (Rs. 5200-20200) plus Grade Pay of Rs. 2800", the words and figures "Level in the pay matrix (Rs. 29200-92300/-)" shall be substituted;

(ii) Note 2 shall be omitted;

(II) under heading "Deputation",—

(i) in item (ii), for the words and figures "Pay Band-I (Rs. 5200-20200) and Grade Pay Rs. 2800/", the words and figures "Level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300/-)" shall be substituted;

(ii) Note 1 shall be omitted.

[F. No. 17/133/2016-Pers/BSF]

PRASHANT NIKAM Director (Pers)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India Part-II, section 3, sub-section (i) *vide* G.S.R. 317, dated the 19th November, 2011.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.06.29 22:16:37 +05'30'